

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम—सिरोही(राज.)

प्रार्थी

मोहनलाल पुत्र चैनाराम, जाति भील,
निवासी मेरमण्डवाडा, तहसील व जिला
सिरोही हाल माउण्ट तह. रेवदर जिला
सिरोही।

बनाम

राजरथान सरकार जरिये तहसीलदार,
सिरोही।

अप्रार्थी

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 34/2025

| दिनांक | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये |
|------------|--|---|
| 07.11.2025 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री पुष्पेन्द्र चौधरी व स्टेट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/868 दिनांक 27.09.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार राजस्व ग्राम मेरमांडवाडा, पटवार हल्का मेरमांडवाडा के खाता सं. 196 खसरा सं. 1660 रकबा 0.5900 हैक्ट. व खसरा सं. 1661 रकबा 0.4500 हैक्ट. की सहखातेदारी की आराजी में प्रार्थी की नानी का खातेदार के रूप में नाम जमनी पत्नि तारा दर्ज है जबकि सही नाम चमनी पत्नि तारा है। ग्राम मेरमांडवाडा में स्थानीय लोगो से जमनी पत्नि तारा व चमनी पत्नि तारा बाबत जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि जमनी और चमनी एक ही महिला थी। जमनी घर का नाम होने से राजस्व रेकॉर्ड में जमनी पत्नि तारा दर्ज किया गया। तारा पुत्र रुपा भील की मृत्यु होने से ना. सं. 1099/10.06.1987 के द्वारा वारिसान जमनी बेवा तारा व अन्दुरी पुत्री तारा दर्ज हुआ। जमनी अपने एकमात्र संतान संतुदेवी के आबुपर्वत होने से उसके पास आबुपर्वत में रहती थी, जिसके मृत्यु से पहले बने दस्तावेजों में नाम चमनी पत्नि तारा दर्ज है। मौका-फर्द के अनुसार तथा राशन कार्ड, वोटर-कार्ड आदि में प्रार्थी की नानी का नाम चमनी पत्नि तारा दर्ज है। अतः राजस्व ग्राम मेरमांडवाडा, पटवार हल्का मेरमांडवाडा की उक्त खाता सं. 196 की आराजी में खातेदार का नाम जमनी पत्नि तारा के स्थान पर चमनी पत्नि तारा दर्ज किया जाना उचित है।</p> <p>प्रकरण में वकील प्रार्थी व परोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया।</p> <p>सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मेरमांडवाडा, पटवार हल्का मेरमांडवाडा के खाता सं. 196 खसरा सं. 1660 रकबा 0.5900 हैक्ट. व खसरा सं. 1661 रकबा 0.4500 हैक्ट. की आराजी में खातेदार का नाम जमनी पत्नि तारा के स्थान पर चमनी पत्नि तारा संसोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड जमावदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।</p> | |

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)

सिरोही

(उपायुक्त परोकार)

सिरोही (राज.)